कार्यालय
कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला–उज्जैन

मेन्यूअल

बिंदु कमांक– 01

प्रशासनिक प्रतिवेदन

महिलाओं और बालक–बालिकाओं के विकास और कल्याण से संबंधित योजनाओं एवं कार्यों को सुव्यस्थित रूप से कियान्वित करने एवं पर्याप्त गति देने के लिये प्रदेश में 15 अगस्त 1986 को महिला एवं बाल विकास संचालनालय का गठन किया गया तथा महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित समस्त योजनायें आदिम जाति कल्याण विभााग तथा पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग से इस विभाग को हस्तांतरित की गई ।

<u>विभाग के दायित्व</u> :–

01– महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाना ।

02– बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास तथा स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार लाना, कुपोषण से बचाना ।

03– महिलाओं के संवैधानिक हितों को सुरक्षित रखना । महिलाओं के कल्याण, सुरक्षा से संबंधित कानूनों एवं विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूकता बढाना ।

04– प्रदेश में विभिन्न विभागों द्वारा महिलाओं व बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंधित योजनाओं के कियान्वयन में समन्वयक की भूमिका निभाना ताकि योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक पहुंच सके ।

05– महिलाओं की स्थिति में निरंतर सुधार लाने हेतु महिला नीति के कियान्वयन का समन्वय ।

कार्यालय की विभिन्न शाखाओं के कार्य/दायित्व

क्र.	कर्मचारी का नाम	शाखा का नाम
1	श्री प्रकाशचंद्र जैन मुख्य लिपिक/सहलेखापाल	कार्यालय एवं अधिनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण
02	श्री अशोक कुमार झाला, सहायक ग्रेउ–2	विधान सभा प्रभारी, पोषण आहार, सामग्री क्रय, शिकायत स्टेट/पीजी,
03	श्री रविन्द्र डाकवाले, सहायक ग्रेउ–2	स्थापना, न्यायालयीन प्रकरण, सूचना का अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन,
04	श्री रईस मोहम्मद कुरेशी, सहायक ग्रेउ–3	लाडली लक्ष्मी योजना, कार्यालयीन भंडार एवं वरिष्ठालय से प्राप्त सामग्रगी का भंडार, सिलाई परीक्षा, मासिक प्रगति प्रतिवेदन की डाटा इंट्री, टाईपिंग कार्य
05	श्री भूपेन्द्र कुमार गोथवाल, सहायक ग्रेउ–3	समस्त पुरस्कार, ममत्व मेला, शासकीय संस्थाएं, कार्यालयीन वाहन (डेड एवं लाईव स्टॉक) पंजी अधिनस्थ अधिकारियों के भ्रमण एवं दौरा डायरी, मासिक प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा, आंगनवाडी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं की नियुक्ति में प्राप्त दावे आपत्तियों का निराकरण, कम्प्युटर टाईपिंग कार्य
06	श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा, सहायके ग्रेड–3	बैठक, आर्थिक विकास निगम की योजनाएं, सामान्य शिकायतें, कम्प्युटर टाईपिंग कार्य
07	श्री लोकेन्द ठाकुर, सहायक ग्रेड–3	परख, जनसुनवाई, किशोरी शक्ति योजना, समाधान ऑन लाईन, मंगल दिवस, महिला जागृति शिविर, कम्युटर टाईपिंग कार्य
08	श्रीमती सुधा जैन, पर्यवेक्षक	प्रशिक्षण, घरेलू हिंसा, साप्ताहिक एवं अन्य दिवस, प्रोजेक्टर मुस्कान, बाल शक्ति, बाल संजीवनी
09	श्रीमती उषा किरण चौहान, पर्यवेक्षक	लेखा

बिंदु कमांक– 02

कार्यालय में पदस्थ अधिकारी की जानकारी

श्री संजय सिसौदिया, जिला कार्यकम अधिकारी

कुल परिलब्धियां

01– वेतन 02– ग्रेड–पे 03 महंगाई भत्ता 04 मकान किराया भत्ता	रूपये 21,740 / – रूपये 6,600 / – रूपये 4,534 / – रूपये 535 / –
कुल परिलब्धियां	रूपये 33,409 / –

कर्तव्य :–

1– जिले की 14 बाल विकास परियोजनाओं अंतर्गत संचालित आंगनवाडियों एवं शासकीय संस्थाएं नारी निकेतन, बाल संरक्षण गृह का संचालन ।

2– महिला बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं जैसे– लाडली लक्ष्मी योजना, मंगल दिवस, किशोरी शक्ति योजना, महिला जागृति शिविर, अशासकीय संस्थाओं का परिवेक्षण, नियंत्रण, स्व– सहायता समूह आदि का संचालन ।

3– पदेन प्रबंधक आर्थिक विकास निगम के रूप में निगम की योजनाओं का संचालन ।

बिंदु कमांक– 04

समय सारणी

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अंतर्गत

1– आवेदन प्राप्ति की दिनांक ....

2– आवेदन प्राप्त होने पर प्राप्तकर्ता अधिकारी/कर्मचारी अधिकतम दूसरे कार्य दिवस तक संबंधित शाखा को भेज देगा ।

3– संबंधित शाखा प्रभारी ऐसे प्राप्त आवेदन से संबंधित अभिलेख अधिकतम 03 कार्य दिवस में लोक सूचना अधिकारी को अपनी टीप सहित प्रेषित करेगा की ऐसा अभिलेख धारा 08 के अंतर्गत वर्जित नहीं है ।

शाखा प्रभारी यदि पाता है कि आवेदन उसकी शाखा से संबंधित ना होकर अन्यत्र शाखा या विभाग से संबंधित है तब ऐसी देश्याा में अधिकतम दूसरे कार्य दिवस तक आवेदन लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी को भेज देगा ।

4– लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी ऐसा अभिलेख प्राप्त होने पर अधिकतम तीन कार्य दिवस में आवेदक को सूचना/प्रतिलिपि/सेम्पल शुल्क अदा करने के लिये निर्धारित प्रारूप में सूचित करेंगे ।

5– लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी निर्ध्धारित शुल्क की पूर्ति होने के पश्चात आवेदन की दिनांक से 30 कार्य दिवसों की समयावधि में वांछित दस्तावेज/नकल/निरीक्षण/अवलोकन की कार्यवाही कर आवेदक के हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे ।

यदि वांछित अभिालेख अन्य कार्यालय/विभाग से संबंधित है तो ऐसे लोक सूचना अधिकारी निर्धारित प्रारूप में मूल आवेदन संबंधित कार्यालय/विभाग को आवेदन की दिनांक से पांच कार्य दिवस में अंतरित कर देंगे । साथ ही आवेदनकर्ता को निर्धारित प्रारूप में अंतरण की सूचना देंगे ।

बिंदु कमांक– 05

कार्यालय में उपलब्ध होने वाले तथा उपलब्ध अधिर्निनियम, नियम, रेग्युलेशन, मेन्यूअल की सूची

1– मध्यप्रदेश अवकाश नियम
2– मध्यप्रदेश सर्विस मेन्यूअल भाग–1 एवं 2
3– मध्यप्रदेश सामान्यय पुस्तक परिपत्र
4– मध्यप्रदेश मूलभूत नियम भाग–1 एवं 2
5– मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियम
6– मध्यप्रदेश यात्रा भत्ता नियम
7– मध्यप्रदेश विभागीय जांच प्रकिया संहित
8– कोषालय संहित
9– वित्तीय संहिता भाग–1 एवं 2
10– मध्यप्रदेश स्टोर्स पर्चेस सरूल
11– मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम
12– चिकित्सा परिचर्या नियम 1958
13– भरण पोषण अधिनियम
14– हिन्दु विवाह अधिर्निनियम
15– मध्यप्रदेश वेतन निर्धारण नियम
16– मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस पेंशन नियम
17– सिविल प्रकिया संहिता भाग–1, 2, 3,, 4
18– मध्यप्रदेश शासन द्वारा कर्मचारियों हेतु कल्याणकारी सुविधाएं
19– विधिक अपराधिक संग्रह
20– महिलाओं का उत्पीडन एवं अधिर्निनियम

बिंदु कमांक– 06

कार्यालय में संधारित किए जाने वाले विभिन्न अभिलेखों की सूची

कमांक	दस्तावेज का नाम	समाहित जानकारी
1	केशबुक	आय एवं व्यय से संबंधित प्रविष्ठी
2	व्हाउचर्स पंजी	भुगतान किये गये देयकों के व्हाउचर्स
3	कांटिजेंसी रजिस्टर	भुगतान हेतु प्राप्त देयकों की प्रविष्ठी
4	बिल रजिस्टर	भुगतान हेतु तैयार देयकों की प्रविष्ठी
5	चेक रजिस्टर	कोषालय से प्राप्त चेकों की प्रविष्ठी
6	एरोल पंजी	भुगतान की प्रविष्ठी
7	चिकित्सा देयक पंजी	अधिकारी/कर्मचारियों से प्राप्त चिकित्सा देयकों के भुगतान की प्रविष्ठी
8	यात्रा देयक पंजी	अधिकारी/कर्मचारियों से प्राप्त यात्रा देयकों के भुगतान की प्रविष्ठी
9	बैंकर्स चेक एवं ड्राप्ट पंजी	भुगतान हेतु प्राप्त बैंकर्स चेक एवं ड्राप्ट की प्रविष्ठी
10	स्थायी सामग्री पंजी	कय की गई सामग्री की प्रविष्ठी
11	स्टेशनरी पंजी	प्राप्त स्टेशनरी की प्रविष्ठी
12	आवक पंजी	प्राप्त पत्रों की पंजी में प्रविष्ठी
13	जावक पंजी	कार्यालय से भेजे जाने वाले पत्रों की प्रविष्ठी
14	सर्विस स्टाम्प पंजी	बाहर भेजे जाने वाले पत्रों पर लगाये गये स्टाम्प की प्रविष्ठील
15	टी.एल.पंजी	निर्धारित समय सीमा के पत्रों की प्रविष्ठी
16	उपस्थिति पंजी	कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज की जाती है
17	आकस्मिक अवकाश पंजी	कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश की प्रविष्ठी

बिंदु कमांक– 07

परामर्शदात्री समितियों की संरचना संबंधी जानकारी

निरंक

बिंदु कमांक– 08

कार्यालय के अंतर्गत आने वाली बोर्ड, परिषद एवं समितियों की जानकारी

निरंक

बिंदु कमांक– 09 एवं 10

कमांक	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मूल वेतन
1	श्री संजय सिसौदिया	कार्यक्रम अधिकारी	21,740 / –
2	श्रीमती प्रमोद शितोले	सहायक परियोजना अधिकारी	15,910 / –
3	श्री प्रकाशचंद्र जैन`	मुख्य लिपिक / सह लेखापाल	13,200 / –
4	श्री अशोक कुमार झाला	सहायक ग्रेड–2	10,170 / –
5	श्री रविन्द्र डाकवाले	सहायक ग्रेड–2	10,170 / –
6	श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा	सहायक ग्रेड–3	7,900 / –
7	श्री रईस मोहम्मद कुरेशी	सहायक ग्रेड–3	8,490 / –
8	श्री भुपेन्द्र कुमार गोथवाल	सहायक ग्रेड–3	8,210 / –
9	श्री लोकेन्द्र ठाकुर	सहायक ग्रेड–3	5,200 / –
10	श्री मोहन सिंह परमार	वाहन चालक	8,730 / –
11	श्री जगदीशचंद्र धाकड	वाहन चालक	8,370 / –
12	श्री भागीरथ मालवीय	भृत्य	7,210 / –
13	श्री तेजाराम भारती	भृत्य	6,640 / –
14	श्री नरेन्द्र नामदेव	भृत्य	6,790 / –
15	श्री परमलाल अहिरवार	चौकीदार	कलेक्टर दर

बिंदु कमांक– 11

मदवार बजट आवंटन की जानकारी

कमांक	मद का नाम	प्राप्त आवंटन (रूपये लाख में)
1	लाडली लक्ष्मी योजना	102.70
2	मंगल दिवस	11.77
3	किशोरी शक्ति योजना	4.05
4	महिला जागृति शिविर	1.50
5	महिला एवं बाल कल्याण विविध अनुदान	4.00
6	जाबाली योजना (वैश्या उन्मूलन)	4.00
7	ग्रामीण क्षेत्र में पोषण आहार कार्यकम	259.68

बिंदु कमांक– 12

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी

1– आई.सी..डी.एस. योजना :–

जिले में 05 शहरी एवं 09 ग्रामीण कुल 14 बाल विकास परियोजनाएं आंगनवाडी केन्द्र संचालित हे ।

आंगनवाडी के केन्द्रों के माध्यम से 06 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार, स्वास्थ्य जांच, प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल एवं परामर्श सेवायें रोग प्रतिरक्ष टीका लगाना, पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा आदि की सेवाओं से लाभान्वित किया जाता है ।

2– लाडली लक्ष्मी योजना :'–

प्रदेश में बालिकाओं के शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने, बालिकाओं के अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने, बालिका भ्रूण हत्या रोकने और बालिकाओं के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच लाने के उद्धेश्या से ''लाडली लक्ष्मी योजना'' आरंभ की गई है ।

3— मंगल दिवस :—

प्रथम मंगलवार :— गोद भराई कार्यक्रम

योजना के प्रमुख उद्धेश्य :—

1— अशिक्षित, अल्प शिक्षित, ग्रामीण आदिवासी गरीब परिवार की शहरी गंदी बस्ती में रहने वाली गभर्वती महिलाओं की गर्भावस्थ में उचित देखभाल ।

2— गर्भवती महिला की प्रसव पूर्व स्वास्थ्यय जांच सुनिश्चित करना ।

3— टिटेनस के दो टीके लगाये जानसा ।

4— आयरन फोलिक एसिड की 100 गोलियों का सेवन सुनिश्चित करना ।

5— संस्थागत सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित कराना आदि ।

द्वितीय मंगलवार :— अन्नप्राशन योजना

योजना के प्रमुख उद्धेश्य :—

छः माह के बाद मां के दूध के साथ—साथ पूरक आहार दिये जाने के स्तर को बढावा ताकि बच्चे को कुपोषण से बचाया जा सके । आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम में सामुदायिक सहयोग एवं जनसहभागिता को बढाना । शिशु मृत्युदर को कम करना ।

तृतीय मंगलवार :– जन्म दिवस कार्यक्रम

योजना के प्रमुख उद्धेश्य :–

आंगनवाडी केन्द्रों एवं समुदाय के बीच आत्मीय संबंध स्थापित होंगे ।

आंगनवाडी केन्न्द्रों में बच्चों की उपस्थिति ।

बच्चों में शाला त्यागने की आदत समाप्त होगी ।

बच्चों में सहयोग की भावना का विकास होगा ।

आंगनवाडी में आने वाले प्रत्येक बच्चा, जिसकी आयु एक छः वर्ष हो को इसका लाभ दिया जाता है ।

चतुर्थ मंगलवार :– किशोरी बालिका दिवस

प्रत्येक माह के चौथे मंगलवार को किशोरी बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है ।

उपरोक्त दिवस को आंगनवाडी केन्द्र पर दर्ज किशोरी बालिकाओं को राष्ट्रीय किशोरी बालिका के तहत संतुलित आहार, प्राथमिक स्वास्थ की देखभाल तथा आर्थिक गतिविधियों से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है ।

कार्यक्रम के दौरासन किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य की जांच की जाती है ।

किशोरी बालिकाओं को आर.सी.एच. योजना के तहत आयरन फोलिक एसिड की गोलियां दी जाती है । किशोरी बालिका दिवस के दिन रंगोली का निर्माण, सामान्य ज्ञान एवं खेल प्रतियोगिता या अन्य कोई रूचिकर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है ।

4— किशोरी शक्ति योजना :—

इस योजना के तहत 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं को जीवन प्रतिदिन काम आने वाली बातों की शिक्षा व प्रशिक्षण दिया जाता है ।c जैसे :—मासिक रजोधर्म, टीकाकरण, प्रत्येक 6 माह में स्वास्थ्य जासिंच, छोटी बिमारियों का इलाज, पेट में कीडों का उपचार, खून की कमी विटामिन सी की कमी को दूर करना, घेंघा से मुक्ति एवं रेफरल सेवा आदि । उक्त योजना विकास खंड स्तर एवं पंचायत स्तर पर आयोजित कर बालिकाओं को लाभान्वित किया जाता है ।

5— ग्राम्या योजना :—

प्रदेश में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक, दैनिक हाट बाजार लगते है जिनमें कि अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं सब्जी, फल, चूडियां, आदि बेचती है। कार्यशील पूंजी के अभाव में इन्हें अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से संचालित करने और व्यवसाय बढाने में कठिनाई होती है । ऐसी महिलाओं को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने की दृष्टि से मध्यप्रदेश में महिला आर्थिक विकास निगम के द्वारा ग्राम्या योजना प्रारंभ की गई । इस योजना के तहत महिलाओं को कार्यशील पूंजी रूपये 500/— बिना ब्याज के दी जाती है जिसकी 10 रूपये प्रति हाटा सबाजार के मान से वसूली की जाती है तथा प्रथम राशि की वसूली पूर्ण होने पर द्वितीय किश्त पर रूपये 1500 सका. ऋण प्रदाय किया जाता है ।

6— महिला जागृति शिविर :—

महिलाओं को शासकीयय योजनाओं की जानकारी देने, सामाजिक कुरीतियों, महिला एवं बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी देने, दहेज प्रथा, बाल विवाह इन सामाजिक बुराईयों को दूर करने हेतु शासन द्वारा बनाये कानूनों की जानकारी महिला जागृति शिविरों में प्रदर्शनी, कठपूतली एवं लोकगीत के द्वारा योजनाओं की जानकारी देने के उद्धेश्य से जागृति शिविरों का आयोजन किया जाता है ।

7— स्व—सहायता समूह :—

स्व—सहायता समूह अंतर्गत महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सुदृढीकरण हेतु उनके समूह गठित किये जाते है । उनमें बचत की आदत डालकर आपस में आवश्यकता एवं रूचि के अनुसार स्व—रोजगार एवं परम्परागत एवं गैर परम्परागत व्यवसाय करने हेतु प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाती है ताकि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो सके । उदाहरण — भैंस पसालन, बकरी पालन, दोना पत्तल, किराना दुकान, खाद—बीज क्रय आदि ।

8— उषा किरण योजना :—

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 नियम 2006 के आधार पर घरेलू हिंसा से पीडित महिलाओं को संरक्षण के साथ—साथ पुनर्वास करने एवं आवश्यक सेवायें उपलब्ध कराने के लिये ''उषा किरण योजना'' प्रारंभ की गई है ।

बिंदु क्रमांक– 13

वास्तविक हितग्राहियों की सूची

वर्ष 2009–10

माह जुलाई 2009 तक

क्रमांक	योजना का नाम	हितग्राहियों की सूची
1	ग्राम्या योजना	संबंधित परियोजना कार्यालय में उपलब्ध है
2	महिला जागृति शिविर	संबंधित परियोजना कार्यालय में उपलब्ध है
3	शासकीय संस्थाओं को अनुदान	जिला कार्यालय में उपलब्ध है
4	जाबाली योजना	जिला कार्यालय में उपलब्ध है
5	ग्रामीण क्षेत्र में पोषण आहार योजना	संबंधित परियोजना कार्यालय में उपलब्ध है
6	मंगल दिवस	संबंधित परियोजना कार्यालय में उपलब्ध है
7	लाडली लक्ष्मी योजना	जिला कार्यालय में उपलब्ध हे
8	किशोरी शक्ति योजना	संबंधित परियोजना कार्यालय में उपलब्ध है

बिंदु कमांक– 14

कार्यालय में उपलब्ध जानकारियों की सूची

वर्ष 2009–10

माह जुलाई 2009 तक

कमांक	योजना का नाम	हार्डकापी	कम्प्युटर में
1	अशासकीय संस्थाओं को अनुदान	उपलब्ध है	उपलब्ध है
2	लाडली लक्ष्मी योजना	उपलब्ध है	उपलब्ध है
3	उषा किरण योजना	उपलब्ध है	उपलब्ध है

बिंदु कमांक– 15

आम नागरिक को सूचना उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध सुविधाएं

सुविधा	प्रभारी अधिकारी का नाम	सूचना प्राप्ति का समय	कार्यालय का टेलीफोन नंबर
मौखिक या आवेदन द्वारा	श्री संजय सिसौदिया कार्यक्रम अधिकारी	प्रातः 10.30 से 5.30 तक शासकीय अवकाश को छोडकर	0734–2511658

बिंदु कमांक– 16

लोक सूचना अधिकारी से संबंधित जानकारी

स्तर	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी
जिलास्तर	जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास जिला उज्जैन	परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना उज्जैन शहर कमांक–1	कलेक्टर

बिंदु कमांक– 17

प्रासंगिक जानकारी जिसका संबंध आम नागरिक से है

1– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कोई भी नागरिक कार्यक्रम अधिकारी नियुक्ति लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी को लिखित प्रारूप में आवेदन कर विहित सूचना/अभिलेखों की प्रति प्राप्त कर सकता है । आवेदन पत्र का फार्म सूचना अधिकारी कार्यालय से विहित शुल्क देकर प्राप्त किया जा सकता है । आवेदन पत्र की रसीद प्रदान की जावेगी । आवेदक को अभिलेखों की प्रतिलिपि का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा

2– अधिनियम की धारा 8 में उल्लेखित कारणों से आवेदक द्वाराा चाही गई सूचना/अभिलेखों की प्रति से इंकार किया जा सकता है, जिसकी लिखित सूचना आवेदक को दी जावेगी । आवेदक विषयांतर्गत इस आदेश के विरूद्ध अपील कर सकेगा ।

3– गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्ति द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चाही जाने वाली जानकारी शुल्क से विमुक्त रहेगी । सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत समस्या के लिए लोक सूचना अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है ।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में जानकारी

जिला स्तरीय विभागीय संरचना

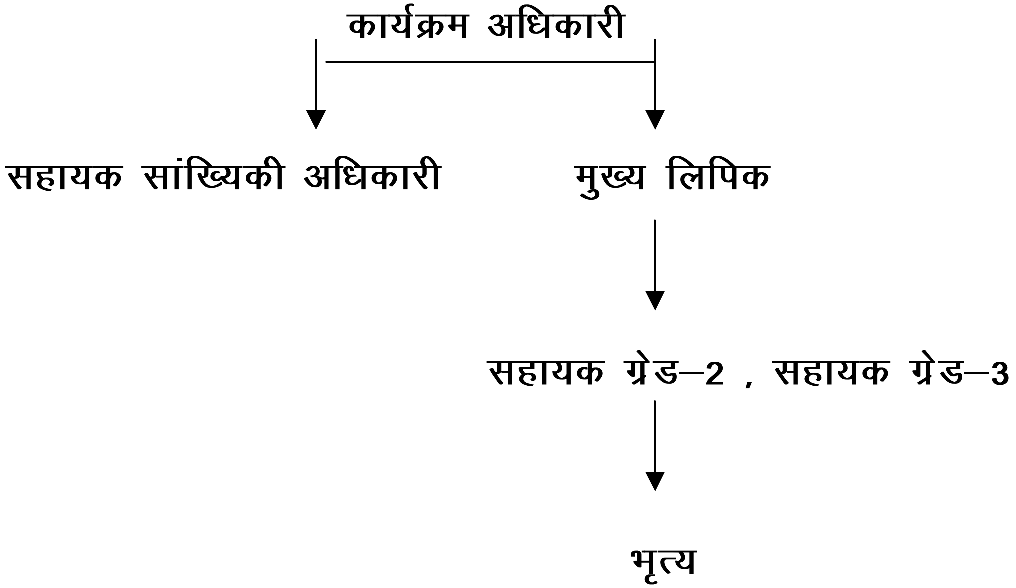

<u>बाल संजीवनी अभियान</u>

बच्चों में कुपोषण का स्तर कम करने के लिए वर्ष में 02 बार बाल संजीवनी अभियान का संचालन किया जाता है।

अभियान के अन्तर्गत 05 वर्ष तक के बच्चों का वजन लिया जाकर कुपोषण की स्थिति पता की जाती है। स्वास्थ्य जांच उपरान्त बच्चों के अभिभावकों को बच्चों के कुपोषण का स्तर कम किये जाने के संबंध में समझाईष दी जाती है तथा बच्चा पुनः कुपोषित न हो इस हेतु आंगनवाडी केन्द्रो के माध्यम से निरन्तर निगरानी रखी जाती है।

<u>प्रोजेक्ट मुस्कान</u>

वजन के पष्चात कुपोषित बच्चे , चिन्हित पाये जाते है उन बच्चो का स्वास्थ्य परीक्षण , स्वास्थ्य जांच निःषुल्क दवाई वितरण एक ही स्थान पर षिविर लगा कर विषेषज्ञो द्वारा किया जाता है । प्रोजेक्ट मुस्कान अंतर्गत षिविरो का आयोजन खंड स्तर पर किया जाता है ।

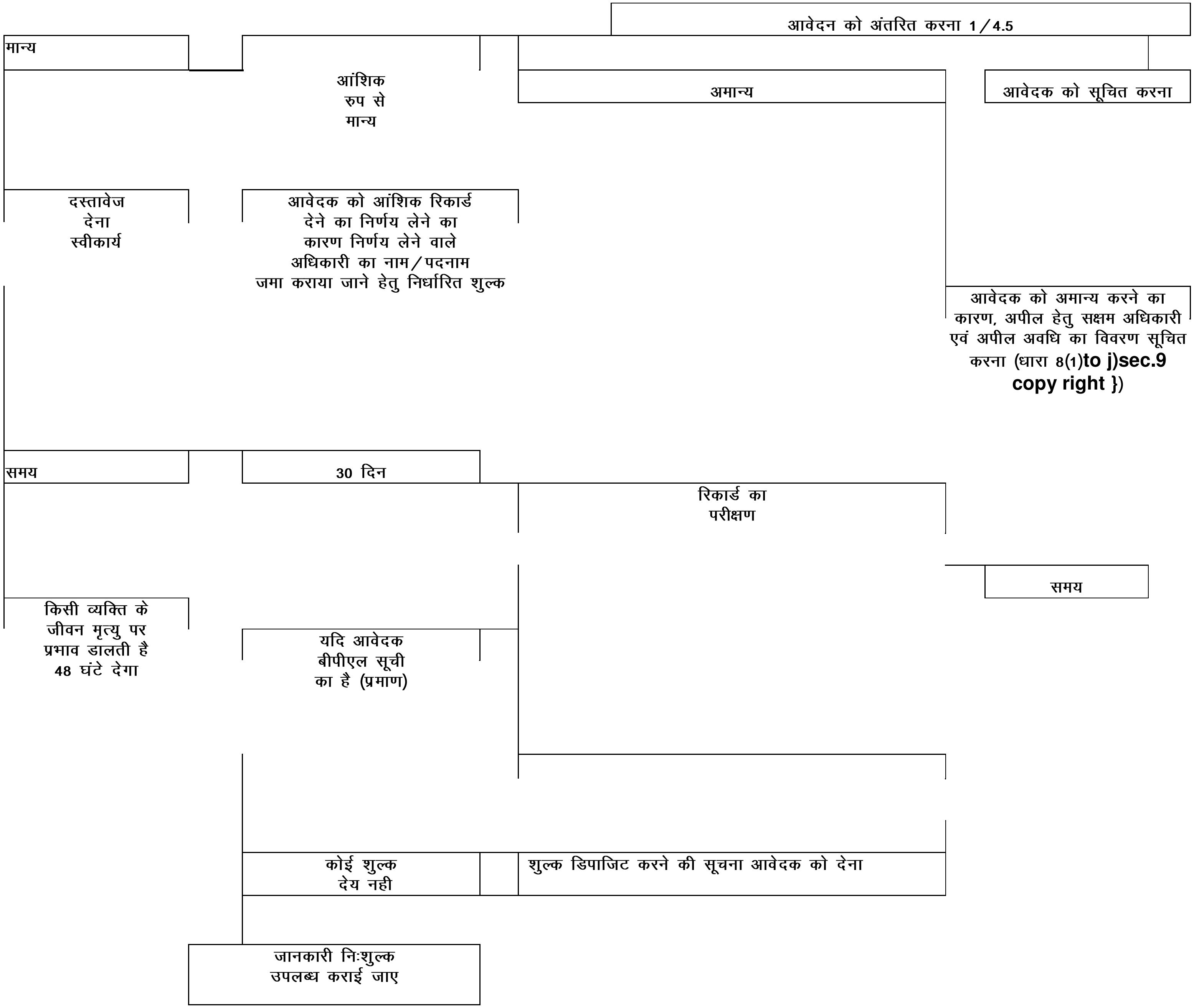
आवेदन को अंतरित करना 1/4.5
मान्य
आंशिक रुप से मान्य
अमान्य
आवेदक को सूचित करना
दस्तावेज देना स्वीकार्य
आवेदक को आंशिक रिकार्ड देने का निर्णय लेने का कारण निर्णय लेने वाले अधिकारी का नाम/पदनाम जमा कराया जाने हेतु निर्धारित शुल्क
आवेदक को अमान्य करने का कारण, अपील हेतु सक्षम अधिकारी एवं अपील अवधि का विवरण सूचित करना (धारा 8(1)to j)sec.9 copy right })
समय
30 दिन
रिकार्ड का परीक्षण
समय
किसी व्यक्ति के जीवन मृत्यु पर प्रभाव डालती है 48 घंटे देगा
यदि आवेदक बीपीएल सूची का है (प्रमाण)
कोई शुल्क देय नही
शुल्क डिपाजित करने की सूचना आवेदक को देना
जानकारी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए

बिन्दु कमांक–03

कार्यालय में अपनाई जाने वाली प्रकिया

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आवेदक

आवेदन पत्र

1. लिखित होगा
2. निर्धारित शुल्क
3. मौखिक को लिखित बनाने में रा.लो सू.अ. मदद करेगा
4. संपर्क स्थापित करने हेतु पता/आवश्यक जानकारी देगा

क्या नही होना चाहिए

1. सूचना क्यों चाहिये– कारण आवश्यक नही
2. आवेदक का व्यक्तिगत विवरण

राज्य सूचना अधिकारी
या
सहायक सूचना अधिकारी

संबधित विभाग के राज्य
लोक सूचना अधिकारी